ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-10* November- 2020
Innovation The Research Concept

नई शिक्षा नीति 2020 ..... एक समीक्षा

New Education Policy 2020 ..... A Review

Paper Submission: 16/11/2020, Date of Acceptance: 27/11/2020, Date of Publication: 28/11/2020

कमलेश कुमार सिंह
विभागाध्यक्ष
सहायक प्राध्यापक,
समाजशास्त्र विभाग,
रा0 स्व0 ग्रा0 उ0 पी0जी0 कालेज, पुखराया,
कानपुर देहात, भारत

सारांश

वर्तमान समय में लागू शिक्षा व्यवस्था की नीव ब्रिटिश काल में लार्ड मैकाले द्वारा रखी गयी थी। देश की आजादी के साथ ही विभिन्न वर्गों द्वारा तत्कालीन लागू शिक्षा प्रणाली की कटु आलोचनाएं की जाने लगी और इसे बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, और हमारी सरकारों ने अपनी सोच और फायदे के अनूरूप इनमें परिवर्तन भी किये। हमारी वर्तमान सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुआयामी सुधारों की आवश्यकता महसूस करते हुए विभिन्न क्षेत्रों जैसे कौशल विकास, शारीरिक शिक्षा, पर्यावरण , खेल, योग, शिल्प, कला, संगीत, सामुदायिक आदि क्षेत्रों में व्यापक बदलाव की आवश्यकता महसूस करते हुए नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृति प्रदान की है। 1986 में रष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गयी थी तथा बाद में 1992 में इसमें कुछ और संसोधन भी किया गया था। किन्तु इसके बाद लगभग 34 वर्षों तक किसी भी प्रकार शिक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया।

इस वर्ष लागू नयी शिक्षा नीति 2020 शिक्षा की गुणवत्ता वहनीयता, समानता जैसे बिन्दुओं के अलावा रोजगार के अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस शिक्षा नीति में मानव मूल्यों को संजोये रखने तथा उनके उन्नयन पर विशेष जोर दिया गया। हमारी सरकार ने नई शिक्षा नीति में देश के सम्पूर्ण GDP का 6% शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने का प्रावधान किया है। नई शिक्षा नीति में इस विभाग का नाम Ministry of Human Resorse Development (MHRD) होगा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम लेगा। इस शिक्षा नीति के निर्माण के लिए सर्वप्रथम 2017 में एक कमेटी बनायी गयी जिसके अध्यक्ष डॉ0 के. कस्तूरी रंगन थे। इनकी अध्यक्षता वाली समिति ने 2019 में नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया। सन् 2020 में लागू नई शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रीय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात की गयी है, तकनीकि शिक्षा, भाषायी बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिये शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिये तकनीकि प्रयोगो को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच तार्किक निर्णय और नवाचार की भावनाओं को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है।

The foundation of the education system implemented at the present time was laid by Lord Macaulay in the British period. With the independence of the country, various sections started criticizing the then implemented education system and the need to change it was emphasized, and our governments made changes to their thinking and benefits. Our current government too, realizing the need for multidimensional reforms in the field of education, new national education, realizing the need for wide change in various fields like skill development, physical education, environment, sports, yoga, crafts, arts, music, community etc. Approved the policy. The National Education Policy was implemented in 1986 and later in 1992 it was further amended. But after this, there was no change in education policy in any way for about 34 years.

The new education policy 2020 implemented this year has given special attention to creating employment opportunities in addition to the points of quality, affordability, equality of education. In this education policy, special emphasis was laid on preserving human values and upgrading them. In the new education policy, our government has made a provision to invest the whole of the country in the education sector. In the new education policy, the name of this department will be Pippetpettal and Vibhumand Tamevetem Kammaswamudjam, which will take the name of Ministry of Human Resource Development. In order to formulate this education policy, a committee was first formed in 2017, under the chairmanship of Dr. K.K. The musk rang. The committee headed by them prepared a draft of the new education policy in 2019. The new education policy implemented in 2020 is the third education policy of independent India. The new education policy currently calls for dividing the educational curriculum based on the 5 $ 3 $ 4 system, replacing the active 10 $ 2 educational model, technical education, removing linguistic constraints, facilitating education for differently-abled students Emphasis has been given on promoting technical experiments for the etc. In this education policy, emphasis has been laid on encouraging creative thinking, logical decision and feelings of innovation among students.

मुख्यशब्दः वहनीयता,(Sustainability) जी0डी0पी0,(Gross Domestic production)नवाचार,(Innovation) भाषायी (Linguistic) परिवेश, (Enverонment)परिवर्धित रूप(Modified)

प्रस्तावना

भारतीय संविधान में शिक्षा के सम्बन्ध में किये गये विभिन्न प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओं ने सूझ–बूझ का परिचय देते हुए शिक्षा को जनसाधारण के कल्याण का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण व शक्तिशाली साधन स्वीकार किया गया है। तथा सभी को शिक्षा प्राप्त के अधिकतम अवसर प्रदान करने की भावना से शिक्षा सम्बन्धी अनेक व्यवस्थाओं तथा अधिकारों को स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। परन्तु इन प्रावधानों के बावजूद केन्द्र व राज्य सरकारों की उदासीनता के कारण से संविधान में किये गये यह सभी संकल्प अभी तक पूर्ण नहीं किये जा सके। इक्कीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक की समाप्ति की ओर अग्रसरित भारत में आवश्यकता इस बात की है कि संविधान सभा की मूल भावनाओं को कम से कम अब तो समझा जाये और न केवल उसके अनुरूप वरन इक्कीसवीं शताब्दी के वैश्विक परिवेश की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी प्रकार की शिक्षा की समुचित ढंग से व्यवस्था की जाये। हाल ही में हमारी सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गयी जिसे बहुत बड़े परामर्शदात्री समिति के सहयोग से तैयार किया गया है। इसे लाने के साथ ही देश में शिक्षा के विकास पर व्यापक चर्चा आरम्भ हो गयी है। शिक्षा के सम्बन्ध में गांधी जी का विचार था कि–''बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का सवोत्कृष्ट विकास है। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुये हमें यह विचार करने की आवश्यकता है कि 1986 लागू शिक्षा नीति में वे कौन से महत्वपूर्ण बिन्दु रह गये थे जिनके कारण सरकार को उसमें सुधार करने की आवश्यकता पड़ी। इसके पहले जो शिक्षा नीति देश में लागू थी वह अंग्रेजों द्वारा उनके फायदे के अनुरूप लागू षिक्षा प्रणाली का ही विस्तृत स्वरूप था।

ब्रिटिश काल की शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य अंग्रेजी भाषा तथा पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान की शिक्षा के द्वारा भारत में मध्यवर्गीय कर्मचारी तैयार करना था, जिससे अंग्रेजी शासन को चलाने तथा उसे सुदृढ़ करने में सहायता मिल सकें। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त शिक्षा को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करके नई शिक्षा को गति देने का प्रयास किया गया। वस्तुतः स्वाधीन भारत में शैक्षिक इतिहास के एक नये क्रान्तिकारी युग का सूत्रपात हुआ। शिक्षा व्यवस्था को देश की नयी परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के लिये अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तनों की घोषणा की गयी। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के विकास व विस्तार के प्रयास किये गये। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क बनाने का संकल्प लिया गया। माध्यमिक शिक्षा को बहुउद्देशीय बनाने पर विचार किया गया। तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर में भी सुधार करने का प्रयत्न किया गया। इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति व जनजाति तथा महिलाओं की शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया।

उद्देश्य

नई शिक्षा नीति का उद्देश्य ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जो चरित्र निर्माण के साथ मातृभाषा में हमें अपने जड़ो जोड़ती हो यह समानता पर आधारित समावेशी होने के साथ–साथ कौशल विकास एवं रोजगार परक भी हो। भविष्य को चुनौनियों को देखते हुये इसमें नवाचार को बढ़ावा देकर वैश्विक मानको पर खरा उतरने की कोशिश भी है।

बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थ व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये नई शिक्षा की आवश्यकता थी। भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिये शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिये शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी। अतः अलग–अलग स्तरों पर वर्तमान नई शिक्षा नीति 2020 पर शिक्षा सम्बन्धी सुधार किये गये।

विषय क्षेत्र

1. नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है।
2. 5 वर्ष की फाउण्डेशनल स्टेज (Foundational Stage) 3 साल का प्री–प्राइमरी स्कूल ग्रेड–1,2
3. तीन वर्ष का प्री प्रेट्रीयज स्टेज
4. तीन वर्ष का मध्य (या उच्च प्राथमिक) चरण–ग्रेड 6, 7, 8
5. 4 वर्ष का उच्च (या माध्यमिक) चरण ग्रेड 9, 10, 11, 12 क

NEP 2020 NH RO द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संरचनात्मक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा–3 स्तर तक के बच्चों के लिये आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जायेगा। NEP 2020 में कक्षा–5 तक की शिक्षा में मातृ–भाषा/स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृ भाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के प्राथमिकता देने का सुझाव है। स्कूली शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा। परन्तु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की बाध्यता नहीं होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण करना है। इसका ढांचा विश्वस्तरीय है, परन्तु आत्मा भारतीय है, शिक्षा की सार्थकता तभी है जब छात्र का सर्वांगीण विकास हो, शिक्षा का उद्देश्य अच्छे नागरिक बनाना भी है। शिक्षा नीति में शिक्षकों की गरिमा का भी ध्यान रखा गया है, ताकि देश की मेधा यही रूक कर अच्छी शिक्षा दे सके। मनुष्य में मानवता, जड़ों से जुड़ाव और अतीत से आधुनिकता की तरफ ले जाकर भारतीय छात्रों को विश्व मानव बनाना नई नीति का

उद्देश्य है। नई शिक्षा नीति के अर्न्तगत यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे विश्वविद्यालय जो अपनी शाखा विदेशों में स्थापित करना चाहें स्थापित कर सकतें है और विदेशी विश्वविद्यालय भी यदि चाहें तो हमारे देश में भी शाखायें खोल सकतें है। इसका फायदा हमारे देश के सभी श्रेणी के व सभी वर्ग के विद्यार्थियों को प्राप्त होगा।

स्कूली शिक्षा की विश्वव्यापी उच्च शिक्षा का आधार होगी। इसमें पहले दिन से ही रोजगार परक शिक्षा की बात है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि छात्र या तो रोजगार पा सके या अन्यों को रोजगार दे सके। वर्तमान भारतीय परिपेक्ष्य में यदि नई शिक्षा नीति को विश्व पटल पर रखकर दे तो आज भारतके सामने सभी बड़ी कठिनाई रोजगारपरक शिक्षा व्यवस्था है। नई शिक्षा नीति में इस विषय पर काफी गंभीरता से विचार किया गया है, और रोजगार सृजन की बात भी की गयी है। जिससे आज का छात्र अंधकार में न होकर एक सही दिशा में अपना भविष्य तलाश करें और एक अच्छा भारतीय नागरिक बन सके।

साहित्यावलोकन

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त शिक्षा को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करके नई दिशा व गति देने का प्रयास किया गया। वस्तुतः स्वाधीन भारत में शैक्षिक इतिहास के एक नये क्रान्तिकारी युग का सूत्रपात हुआ। शिक्षा व्यवस्था को देश की नई परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के लिये अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तनों की घोषणा की गयी, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के विकास व विस्तार के प्रयास किये गये। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क बनाने का संकल्प लिया गया, माध्यमिक शिक्षा को बहु–उद्देशीय बनाने पर विचार किया गया, तथा विश्वविद्यालय स्तर पर भी सुधार करने का संकल्प लिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनेक शिक्षाशास्त्रियों, राजनैतिक नेताओं, समाज सुधारको तथा धर्मगुरूओं ने समय–समय पर ब्रिटिश काल में अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू की गयी, पाश्चात्य प्रकार की शिक्षा प्रणाली की कटु आलोचना की। भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करने की दृष्टि से भारत सरकार ने समय–समय पर अनेक शिक्षा आयोगों तथा समितियों का गठन किया। आजादी के बाद गठित कुछ प्रमुख आयोग एवं समितियों की चर्चा करना आज के शैक्षिक परिवेश को समझने के लिये आवश्यक है। इनमें प्रमुख रूप राधाकृष्णन आयोग (1948–49) का उल्लेख करना आवश्यक है। स्वतंत्रता के बाद की अवधि अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना हुयी। परन्तु उच्च शिक्षा में यह केवल संख्यात्मक थी, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा का स्तर गिरने लगा। भारत सरकार ने 9 नवम्बर, 1948 को डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अनेक बिन्दुओं पर अपने सुझाव दिये। इस आयोग की संस्तुतियों अग्रांकित की गयी है। विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य आयोग उच्च शिक्षा पर विचार करते हुये ऐसे शिक्षित नागरिक तैयार करने पर बल दिया जो विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान कर सके। प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित कर सके, राष्ट्रीय एकता अनुशासन में सहायक हों तथ स्वयं को अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना व भाईचारे के लिये समर्पित कर सके।

मुदालियर आयोग (1952–53)

स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा के लिये एक आयोग के गठन के बाद माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिये 23 सितम्बर, 1952 को डॉ0 लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिये तथा इसका शैक्षिक स्तर को उन्नत करने के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये। इसमें उन्होंने बहु–उद्देशीय विद्यालय, व्यवसायिक शिक्षा, कृषि शिक्षा, आवासीय शिक्षा तथा सहशिक्षा पर प्रकाश डाला। अनुशासन को बढ़ाने के लिये अध्यापक–छात्र सम्पर्क हाउस प्रणाली छात्र परिषद व्यवस्था को स्कूलों में लागू करना चाहिए। इस आयोग ने धार्मिक व नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया।

कोठारी आयोग

इस आयोग का गठन सन 1969 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें विभिन्न बिन्दुओं पर अपने सुझाव दिये। इस आयोग ने अपने प्रतिवेदन में शिक्षा की विभिन्न पक्षों पर सघन प्रकाश डाला तथा राष्ट्रीय उत्थान में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित करने की दृष्टि से अनेक सुझाव दिये। आयोग ने यह कहा कि शिक्षा का विकास इस ढ़ंग से किया जाना चाहिए कि जिसमें राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि हो, सामाजिक व राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़े। आधुनिकीकरण में तेजी आये तथा सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो।

इस आयोग ने शिक्षको की आर्थिक सामाजिक व व्यवसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की। इस आयोग ने अपने सुझावों में शैक्षिक समानता, स्कूली शिक्षा का विस्तार करते हुए प्रत्येक बालक के लिये कम से कम 7 वर्ष की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात की। उपर्युक्त में उल्लेखित विभिन्न आयोगों के अलावा भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु समय–समय पर अनेक समितियों का गठन भी किया। जिसमें आचार्य नरेन्द्र देव समिति (1952–53), दुर्गाबाई देशमुख समिति (1957–59) तथा हंसा मेहता समिति (1961–64) का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिससे आज की नई शिक्षा नीति में भी अपनाया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किये गये संकल्पों के अनुशीलन से स्पष्ट है कि यह शिक्षा नीति पूर्ववर्ती शिक्षा नीति से काफी मिलती जुलती है और आने वाली नई शिक्षा नीति 2020 की आधारशिला भी है। इसलिये हमें इसमें उल्लेखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं की चर्चा करना आवश्यक है। नई शिक्षा नीति से अभिप्रायः पूर्णरूपेण नवीन नीति से न होकर बस पुरानी नीति की कमियों को दूर करके नई परिस्थितियों के अनुरूप उसे नूतन रूप देना होता है। इसलिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को और संशोधित शिक्षा नीति 1992 का नई शिक्षा नीति 2020 कुछ साम्य होना स्वाभाविक व तर्कसंगत प्रतीत होता है। परन्तु इसके साथ ही साथ नई शिक्षा नीति अपने साथ अनेक संकल्पों को लेकर आती है और राष्ट्र को एक नयी

दिशा की तरफ अग्रसर होने के लिये मार्ग दर्शन करती है। नई शिक्षा नीति 2020 में हमारी सरकार ने जो भी प्रावधान किये है उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि इस शिक्षा द्वारा ज्ञान और कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाये।

सुझाव व निष्कर्ष

राज्यों का सहयोग

शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के कारण अधिकांश राज्यों के अपने स्कूल व बोर्ड है। इसलिये इस फैसले के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को सामने आना होगा। साथ ही शीर्ष नियंत्रण संगठन के तौर पर एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद लाने सम्बन्धी विचार का राज्यों द्वारा विरोध हो सकता है।

मँहगी शिक्षा

नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों को देश में प्रवेश का मार्ग खुल गया है जिससे भारतीय शिक्षा व्यवस्था के मंहगे होने के आसार है। परिणामस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

शिक्षा का संस्कृतिकरण

त्रिभाषा सूत्र को लागू करने को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों का यह अक्षेप है कि इससे सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है।

फंडिंग सम्बन्धी जांच का अपर्याप्त होना

बहुत से राज्यों में अभी भी शुल्क सम्बन्धी विनियमन मौजूद है। लेकिन ये नियामक प्रक्रियाएँ असीमित दान के रूप में मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में असमर्थ है। सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जी0डी0पी0 का 6 प्रतिशत खर्च करने का उल्लेख करना, और वास्तविक रूप से उसको खर्च कर पाना सरकार की इच्छा शक्ति की एक चुनौतीपूर्ण परीक्षण है। वर्तमान क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है, ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रारम्भिक शिक्षा हेतु की गयी व्यवस्था में व्यावहारिक समस्याएं भी है।

भारत में शोध फेलोशिफ सर्वाधिक दिये जाने के बावजूद शोध का स्तर वैश्विक स्तरपर अच्छा नहीं है। अतः इसके लिये राष्ट्रीय शोध संस्थान के माध्यम से सबको एक बैनर के नीचे एक रूप में रखकर एक नीति बनाने की आवश्यकता है। अच्छे शोध के लिये, कार्यशाला, सेमिनार और कानफ्रेंस आयोजित कराये जाये जिससे कि गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान कार्य पूर्ण किये जाये तभी नई शिक्षा नीति 2020 की उपादेयता समझ में आयेगी और देश का सर्वांगीण विकास सम्भव हो सकेगा। क्योंकि शिक्षा ही देश को दिशा और दशा दोनों प्रदान करती है जिस देश की शिक्षा में जितनी अधिक गुणवत्ता होगी वह राष्ट्र उतना ही प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होगा। वर्तमान भारतीय परिदृश्य को यदि देखा जाये तो अन्य देशों की तुलना में हमारी शिक्षा व्यवस्था काफी कम देशवासियों को अपनी उपादेयता सिद्ध कर पा रही है। यद्यपि शैक्षणिक व तकनीकी कौशल में हमारे देश के युवा, अपने देश के अलावा विदेश में भी बड़े–बड़े उद्योगों से लेकर तकनीकी के क्षेत्र से लेकर अंतरिक्ष तक के क्षेत्र में अग्रणी रूप से अपनी योग्यता का कौशल दिखा रहे है। किन्तु यह कौशल देश के आम युवा के पास सुलभ नहीं हो पा रहा है। इसकी कमी हमें नई शिक्षा नीति 2020 में तलाषनी होगी और यह हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हम कहां तक सफल हो पाते है इसके लिये हमें अपनी सरकार की इच्छाशक्ति और उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये संसाधनों पर निर्भर होना पड़ेगा। क्योंकि हमें अपने देश के युवाओं पर पूर्ण विश्वास है कि अगर अवसर मिला तो हमारे देश का युवा अपनी योग्यता और कार्य कुशलता को सिद्ध करने में पीछे नहीं रहेगा।

सन्दर्भ सूची

1. *डॉ0 एस0पी0 गुप्ता – भारतीय शिक्षा का ताना–बाना सन् 2008*
2. *डा0 जे0सी0 अग्रवाल – स्वतंत्रत भारत में शिक्षा का विकास, आर्य बुक डिपो, नई दिल्ली सन् 1968*
3. *सच्चिदानन्द सिन्हा – भू–मण्डलीकरण की चुनौतियों, नई दिल्ली वाणी प्रकाशन सन् 2005*
4. *राधा कुमुद मुखर्जी – एन्शियन्ट इण्डियन ऐजूकेशन–दिल्ली मोती लाल बनारस सन् 1951*
5. *एस0पी0 गुप्ता – भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याएं–इलाहाबाद शारदा पुस्तक भवन सन् 1996*
6. *चौबे, सरयू प्रसाद तथा अखिलेष चौबे – षिक्षा के आधार, इलाहाबाद शारदा पुस्तक भवन सन् 2003*
7. *रावत प्यारे लाल– भारतीय शिक्षा का इतिहास – आगरा रामप्रसाद एण्ड सन्स – 1972*
8. *मुखर्जी, एस0 एन0 – एजूकेशन इन इंडिया टूडे एण्ड टुमारो – बड़ौदा आचार्य बुक 1996*
9. *दृष्टि IAS के नोट्से*
10. *विभिन्न न्यूज पेपर्स – सम्पादकीय*